A80 A71

विकास कल्याण समिति
(मीठापुर गांव)

छोटेलाल शर्मा (अध्यक्ष)

दिनॉक 15.11.11

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4121
Date 23/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर गांव को (Zone-O) से निकालकर (Zone-F) में डाले जाने हेतु ।

आपसे विन्नम निवेदन है कि मीठापुर गांव जो कि (मीठापुर वार्ड न0 202) बदरपुर विधानसभा नई दिल्ली–44 में है। मीठापुर गांव लगभग 100 वर्षो से भी अधिक पुराना गांव है। दिल्ली प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारे गांव को (Zone-O) में रखा गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग / यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मी0 के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशो के अनूरूप है।

मीठापुर गांव यमुना नदी से लगभग 6 किलोंमीटर की दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नही बैठें है। हमारे गांव के बाद कुछ और कालोनियों है व उसके बाद हरियाणा कें गांव बसन्तपुर, ईस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ भी आती है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में मोलडबन्द (वार्ड न0 204) बदरपुर (वार्ड न0 203) को एफ जोन में लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृप्या मीठापुर गांव को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

प्रार्थी

छोटेलाल शर्मा

प्रतिलिपः–

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. श्री मती शीला दिक्षित जी (माननीया मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार)
3. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
5. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
6. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
7. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली।
8. श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा ।

निवास : 118 मीठापुर गांव बदरपुर नई दिल्ली–44 मो.न. 09810682250